लोक सभा

अतारांकित प्रश्नर संख्या3338

10 अगस्त 2015 को उत्तिर के लिए

मंत्रालय में कार्मिकों की संख्या

3338. श्री रोड़मल नागर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार इस्पात मंत्रालय में समूह (क) से समूह (घ) तक कर्मचारियों की स्वीकृत पदों की समूह-वार संख्या कितनी है;
(ख) कुल कर्मचारियों की संख्या में से भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों हेतु आरक्षित पदों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या आरक्षित पदों की संख्या, भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उत्त)र

इस्पांत और खान मंत्री **श्री नरेन्द्रा सिंह तोमर**

(क) : मंत्रालय में समूह क से समूह घ तक के कर्मचारियों के कुल स्वी कृत पदों की संख्यार 254 हैं।

समूह ‘क’ – 45
समूह ‘ख’ – 108
समूह ‘ग’ – 101
समूह ‘घ’ – शून्ये

(ख) : इस्पाात मंत्रालय जिन पदों के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है , वे भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित हैं। अन्या पदों के मामले में आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ग) और (घ) : प्रत्येाक श्रेणी में पदों की संख्याि आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षित की जाती है।

*****